

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर / रॉची / हजारीबाग /
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता / संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 22/10/19

विषय :— वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 49S27010300107 अन्तर्गत 16 कार्यालयों को विभिन्न मदों में
कुल रु 229.47 लाख (दो करोड़ उन्तीस लाख सैंतालीस हजार रुपये मात्र) अतिरिक्त राशि
आवंटित करने के संबंध में।


महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट मुख्य शीर्ष 2701— मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट—I में
दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया
जाता है :—

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2701—मध्यम सिंचाई	03— मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001—निदेशन तथा प्रशासन / 07—मध्यम सिंचाई परियोजना	229.470

कुल आवंटित राशि — रुपये दो करोड़ उन्तीस लाख सैंतालीस हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध राशि ₹ 11206.80 लाख (एक सौ बारह करोड़ छः लाख अस्सी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98,1800 (वि.) दि. 15.07.2003,1362 दि 09.05.2016 2747(वि०) दि 0 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अधि०)


(अशोक कुमार साह)
संयुक्त सचिव



7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त रथानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता की निकासी वित विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यापर्ण **Online** किया जाय। साथ ही इकाईवार पूर्ण प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke/Surrender No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित रथानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य रथानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त

ज्ञापांक :- 135

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. -हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/गुमला/चाईबासा/खूँटी/सिमडेगा/दुमका/साहेबगंज/गोड़ा/हजारीबाग/जामताडा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड़/सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. :- यथोक्त


ज्ञापांक :- 135

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता(भो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पांच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार साह)
संयुक्त सचिव


(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

वित्तीय वर्ष 2019-2020		पिछले शीर्ष-01-बोर्ड एवं नवे		विद्युत शीर्ष-02-वार्षिक व्यय		पिछले शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय		पिछले शीर्ष-04-मंदांगीदारी व्यय		पिछले शीर्ष-05-मंदांगीदारी व्यय		प्राप्ति लाभ रूपये में				
क्रमांक	कार्यालय का नाम	वेतन	कै पूर्व का वेतनादि	15.11.2000 तक लीकीसी	देवीय व्यय	कार्यालय व्यय	किंवदन्ति	आपूर्ति एवं सामग्री	दूसाथ वर्दी	पिछले व्यय	मंदांगीदारी	मंदांगीदारी	विधि प्राप्त	कुल योग	अधिकृति	
1	मुख्य अधिकारी	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1	जलसंसाधन विभाग, देवघर	पुर्दा का आवंतन	140,000	0,000	0,000	1,100	1,050	0,000	0,250	0,400	0,000	0,000	1,500	1,500	0,050	145,850
2	मुख्य अधिकारी	पुर्दा का आवंतन	181,000	0,000	0,200	0,500	1,050	0,000	0,250	0,300	0,000	0,000	1,500	1,500	0,100	184,900
3	जलसंसाधन विभाग, रोंची	पुर्दा का आवंतन	181,000	0,000	0,200	0,500	1,350	0,000	0,250	0,300	0,000	0,000	1,900	1,900	0,100	185,600
4	सिचाई अधिकारी	पुर्दा का आवंतन	180,000	0,000	0,200	0,300	0,000	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,400	0,400	0,100	181,050
5	जलसंसाधन विभाग, रोंची	पुर्दा का आवंतन	180,000	0,000	0,000	0,700	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	182,150
6	जलसंसाधन विभाग, रोंची	पुर्दा का आवंतन	332,000	0,000	0,200	0,500	0,550	0,000	0,000	0,100	0,100	0,000	0,600	1,000	0,200	335,150
7	जलसंप्रदान सं.-1, चक्रवर्तुर	पुर्दा का आवंतन	210,000	0,000	0,900	0,650	1,000	0,100	0,000	0,700	0,700	0,000	0,300	0,400	0,300	214,450
8	जलसंप्रदान सं.-1, सिंधुडोगा	पुर्दा का आवंतन	308,000	0,000	0,900	0,650	0,000	0,100	0,000	0,500	0,300	0,000	0,300	0,300	0,700	310,750
9	पुर्ववासित पदाधिकारी, देवघर	पुर्दा का आवंतन	67,000	0,000	0,200	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	67,450
0	पुर्ववासित पदाधिकारी, देवघर	पुर्दा का आवंतन	67,000	0,000	0,200	0,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	67,800

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभिभाव)

(अस्त्रोक्त कुमार साह)
संयुक्त सचिव

वित्तीय वर्ष 2019-2020		विद्युत शार्ट-01-देवन एवं मर्दे		विद्युत शार्ट-02-यात्रा व्याय		विद्युत शार्ट-03-प्रायासिक व्याय		विद्युत शार्ट-04-मोटराइंग		विद्युत शार्ट-05-जन्मनीति		विद्युत शार्ट-07-जन्म व्याय		राशि लाख रुपये में			
क्रम सं	कार्यालय का नाम	देवन	देवन के पूर्व का बकाया देवतारै	देवाय वाय	कार्यालय व्याय	किंचन्दरै	आपूर्ति एवं सामग्री	दूसाथ	वर्दी	विद्युत व्याय	मोटराइंग देवन एवं मन्मनीति	विद्युत व्याय	मोटराइंग देवन एवं मन्मनीति	विद्युत व्याय	कुल योग	अधिकृत	
1	पिप्रांग कोड	49527010300107	495270103001	495270103001	495270103001	495270103001	495270103001	495270103001	495270103001	495270103001	495270103001	495270103001	495270103001	495270103001	495270103001	495270103001	17
2	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	पूर्व का आवेदन	132.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	132.750	6.650
3	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	अतिरिक्त आवेदन	6.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	17
4	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	कुल आवेदन	138.250	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.700	0.000	0.000	0.000	139.400	6.650
5	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	पूर्व का आवेदन	32.000	0.000	0.000	0.700	0.350	0.000	0.150	0.000	0.300	0.000	0.100	0.000	0.000	33.500	110.800
6	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	अतिरिक्त आवेदन	142.000	0.000	0.000	0.900	0.600	0.000	0.150	0.050	0.000	0.300	0.100	0.000	0.000	144.400	128.750
7	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	अतिरिक्त आवेदन	30.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	30.950
8	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	पूर्व का आवेदन	202.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	202.800	158.800
9	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	अतिरिक्त आवेदन	80.000	0.000	0.000	0.350	0.000	0.150	0.100	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	80.750
10	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	अतिरिक्त आवेदन	232.000	0.000	0.000	0.200	0.600	0.000	0.150	0.150	0.000	0.300	0.150	0.000	0.000	0.000	283.550
11	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	पूर्व का आवेदन	300.000	0.000	0.400	0.900	0.650	0.000	0.100	0.000	0.700	0.000	0.300	0.000	0.000	303.050	158.800
12	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	अतिरिक्त आवेदन	300.000	0.000	0.400	0.450	0.000	0.000	0.150	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	303.900	158.800
13	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	पूर्व का आवेदन	300.000	0.000	0.400	1.350	0.650	0.000	0.150	0.100	0.000	0.950	0.000	0.300	0.000	303.900	158.800
14	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	पूर्व का आवेदन	122.000	0.000	0.400	1.036	0.650	0.000	0.100	0.100	0.000	0.700	0.000	0.300	0.000	125.286	126.036
15	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	पूर्व का आवेदन	0.000	0.000	0.300	0.100	0.100	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.750	0.750
16	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	पूर्व का आवेदन	130.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	130.800	1650
	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	पूर्व का आवेदन	130.000	0.000	0.400	0.350	0.000	0.150	0.000	0.000	0.250	0.500	0.000	0.000	0.000	132.450	132.450
	विशेष दृ-अर्जन पदार्थ लेन्घाट-परियाजना, हजारीबाग	पूर्व का आवेदन	215.820	0.000	0.100	5.000	2.890	0.000	1.000	0.350	0.000	1.500	2.200	0.700	0.000	229.470	229.470

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये दो करोड़ उन्नीस लाख सेंतालीस हजार मात्र

राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार शाह)
संयुक्त सचिव

२०००-०१
(अर्लेन कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

135
2010119

ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ (କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ)

अनुमान्य

નાનાં પટેલ પ્રમાણે ક પત્રાંક 11 / દિવિધાંશ 14 / 2010-39 / વષાં 140 04.02.13 ક આલાક મ વિસ્તૃત પદ ન પદાંક 31.03.2013 તથ કા બદાયા મુખ્ય માનત કરું નાં નાં પર સ વિપ્રાકરણ ક આધાર પર હા મુખ્યાત્મક